#### <u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—644 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक—12.07.2013</u> फाईलिंग क्र.234503002102013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — **अभियोजन** 

### / / विरूद्ध / /

1—रामेश्वर उर्फ किसानदास पिता रूपदास मांगरे, उम्र—33 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम टिंगीपुर, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—फगनीबाई पति रामेश्वर उर्फ किसानदास, उम्र—37 वर्ष, जाति पनिका, निवासी—ग्राम टिंगीपुर, थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>आरो</u>

# // <u>निर्णय</u> //

### <u>(आज दिनांक-16 / 11 / 2015 को घोषित)</u>

1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 324/34 (दो बार), 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—22.06. 2013 को करीब 10:15 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत कमल पटले के खेत के पास ग्राम टिंगीपुर में फरियादी छब्बलदास एवं पंकज को आने—जाने से रोककर निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित कर, सहआरोपी के साथ मिलकर आहत छब्बलदास एवं पंकज को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में बैलगाड़ी के लोहे के सिवरा को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग कर उक्त आहतगण को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—22.06. 2013 को 10:15 बजे फरियादी छब्बलदास ग्राम टिंगीपुर से खेत पर जा रहा था और उसके साथ पंकजदास भी था, तभी कमल पटले के खेत के पास फगनीबाई व किसानदास लोहे का सिवरा लिये हुए मिले। किसानदास ने उससे कहा कि मेरी औरत से क्या कह रहा था और बोला कि रिपोर्ट हो गई है, अब कुछ नहीं होना है। उसी बात को लेकर आरोपीगण उन्हें रोककर लोहे के सिवरा से मारपीट किये, जिससे फरियादी छब्बलदास के सिर में बांए तरफ तथा बांए कंधे में चोटे लगी थी। पंकजदास ने बचाव किया तो उसे भी लोहे का सिवरा से मारपीट किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने पंकजदास के साथ जाकर थाना मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—88 / 13, धारा—341, 323, 506, 34 भा.द. वि. में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया तथा गवाहों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 324/34 (दो बार), 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी/आहत छब्बलदास, पंकज ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरूद्ध धारा—341, 506 भाग—2 भा.द.वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा—324/34 (दो बार) भा.द.वि के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

## 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने उन्होंने दिनांक—22.06.2013 को करीब 10:15 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत कमल पटले के खेत के पास ग्राम टिंगीपुर में सहआरोपी के साथ मिलकर आहत छब्बलदास एवं पंकज को मारपीट करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में बैलगाड़ी के लोहे के सिवरा को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग कर उक्त आहतगण को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— छब्बलदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है एवं आहत पंकज उसका भतीजा है। घटना आज से लगभग एक—डेढ़ वर्ष पूर्व सुबह लगभग 10—11 बजे की है। आरोपीगण से उसका एवं पंकजदास का मौखिक वाद विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसके साथ लोहे की सिवरा से मारपीट की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह बैलगाड़ी से गिर गया था, जिस कारण उसे सिर पर चोट आई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

6— पंकज मागरे (अ.सा.2) ने वह आरोपीगण को जानता है। आहत छबलदास उसका चाचा है। घटना आज से लगभग एक—डेढ़ वर्ष पूर्व सुबह लगभग 10—11 बजे की है। आरोपीगण से उसका एवं छब्बलदास का मौखिक वाद—विवाद हो गया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने छब्बलदास से लोहे के सिवरा से मारपीट की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि बैलगाड़ी से गिरने से उसे सिर पर चोट आई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध

में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी धरमचंद बघेले (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-22.06.2013 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को छब्बलदास की मौखिक रिपोर्ट पर निरीक्षक उमरावसिंह के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-88 / 13, धारा-341, 323, 506, 34 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर निरीक्षक उमरावसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके अधीन कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की रिपोर्ट विवेचना हेतू प्राप्त होने पर दिनांक-24.06.2013 को प्रार्थी छब्बलदास की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को प्रार्थी छब्बलदास, साक्षी पंकज, जगनदास, शंकरदास के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को आरोपी रामेश्वर से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार लोहे की बैलगाड़ी का सिवरा साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षियों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं 7 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण द्वारा लोहे का सिवरा से मारपीट करने के कारण अंतिम प्रतिवेदन में धारा-324 भा.द.वि. बढाई गई है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं आहतगण छब्बलदास (अ.सा. 1) एवं पंकज (अ.सा.2) ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वयं आहतगण छब्बलदास (अ.सा.1) एवं पंकज (अ.सा.2) के द्वारा अभियोजन मामलें का समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय आरोपीगण ने आहतगण बैलगाड़ी के लोहे के सिवरा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपीगण को धारा-324/34 (दो बार) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 10-

प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का सिवरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि 11-पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट

(सिराज अली) त्रः श्रेष् त्रा–बालाः विकास न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,